

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
दारु कल्याण सिंह भवन, रायपुर

क्रमांक एफ 1-1/2010/1-6

रायपुर, दिनांक 30 अगस्त, 2010

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त कलेक्टर,
छत्तीसगढ़।

विषय :- शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति (निःशक्तजन) की पदस्थापना के संबंध में निर्देश।

राज्य शासन द्वारा यह निर्देश प्रदान किए जाते हैं कि शासन के अधीन नियुक्त शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों (निःशक्तजन) की पदस्थापना यथा संभव उनके जन्म स्थान अथवा उनके गृह जिले में की जाए। राज्य स्तरीय संवर्ग के प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के निःशक्तजनों की पदस्थापना के संबंध में यह वांछनीय नहीं होगा लेकिन तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के निःशक्त कर्मचारियों, जिनकी नियुक्ति जिला स्तर पर होती है, के मामले में उनकी पदस्थापना जहां तक संभव हो, उनके गृह जिले के भीतर, जन्मस्थान के नजदीक की जा सकती है।

2/ कृपया उक्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाए।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,



(के.आर.मिश्रा)

संयुक्त सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

//2//

पृ.क्र. एफ 1-1/2010/1-6

रायपुर, दिनांक 30 अगस्त, 2010

प्रतिलिपि-

1. अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, छत्तीसगढ़।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर।
3. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर।
4. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, रायपुर।
5. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली।
6. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़, रायपुर।
7. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर।
8. महाधिवक्ता, छत्तीसगढ़, बिलासपुर।
9. पंजीयक, उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर।
10. संचालक, जन संपर्क, रायपुर।
11. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर, मंत्रालय, रायपुर।
12. विशेष सहायक/निज सचिव, समस्त मान. मंत्रीगण छत्तीसगढ़ रायपुर।
13. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, रायपुर।
14. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़।
15. समस्त कोषालय अधिकारी/वित्त अधिकारी, छत्तीसगढ़।
16. सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर।
17. अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय रायपुर को उनके पत्र क्रमांक-910 मुमंस/10 दिनांक-24 मई, 2010. के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
18. समस्त अवर सचिव, छ.ग.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग(समस्त अनुभाग)।

संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन

सामान्य प्रशासन विभाग